मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर की वित्त समिति की दिनांक 24.06.2023 को विश्वविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में प्रातः 10.45 बजे सम्पन्न हुई 2023/01 (सत्ताइसवीं) बैठक की कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति निम्नवत् रही :-

1.	प्रो0 श्री जे0पी0 पाण्डेय कुलपति, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	अध्यक्ष
2.	श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।	सदस्य
3.	श्री अशोक कुमार सिंह, अपर निदेशक कोषागार गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर। प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव वित्त, उत्तर प्रदेश, शासन लखनऊ।	सदस्य
4.	ई0एस0के0 अग्रवाल, प्रबन्ध निदेशक, मेसर्स एस0 के0 केमिकल्स। चैम्बर आफ इन्डस्ट्रीज, 105, सुनन्दा टावर, बैंक रोड, गोरखपुर।	राज्य सरकार द्वारा नामित
5.	प्रो0 ए0एन0 तिवारी अधिष्ठाता छात्र मामले, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
6.	प्रो0 संजय मिश्रा, अधिष्ठाता अध्ययन, शोध एवं विकास, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	प्रो0 गोविन्द पाण्डेय, अधिष्ठाता अवस्थापना एवं नियोजन, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
8.	प्रो0 यू0सी0 जायसवाल, अधिष्ठाता संकाय मामले, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
9.	प्रो0 पी0के0 सिंह, अधिष्ठाता स्नातक अध्ययन एवं उद्यमिता, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य
10.	प्रो0 एस0सी0 जैसवाल, समन्वयक, टेक्विप, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।	विशेष आमंत्रित सदस्य

...06.23

11. डा0 जय प्रकाश, सदस्य
कुलसचिव,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

12. श्री अमर सिंह, सदस्य/सचिव
वित्त नियंत्रक,
मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।

वित्त समिति की सत्ताइसवीं बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है।

27-01 वित्त समिति की दिनांक 28.12.2022 को सम्पन्न हुई 2022/03 (छब्बीसवीं) बैठक की कार्यवृत्ति के पुष्टि का प्रस्ताव।

समिति को अवगत कराया गया कि वित्त समिति की छब्बीसवीं बैठक का कार्यवृत्त सभी सदस्यो को प्रेषित किया गया था, जिस पर मा0 सदस्यो द्वारा कोई आपत्ति प्राप्त नही हुयी।

27-02 मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 2022/03 (छब्बीसवीं) बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कार्यान्वित का विवरण।

वित्त समिति की छब्बीसवीं बैठक मे लिये गये निर्णयों पर कृत कार्यवाही के विवरण का अवलोकन करते हुए पूर्व के स्वीकृति प्रस्तावों पर लिये गये निर्णयों से समिति अवगत हुई तथा कृत कार्यवाही पर सहमति व्यक्त करते हुए समिति के सम्मानित सदस्यों द्वारा निम्न विन्दुओ पर सुझाव दिये गये।

26-03 - विश्वविद्यालय के परिनियमावली में त्रैमासिक आधार पर व्यय विवरण प्रस्तुत करने का प्रावधान है परन्तु समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि महीने की जिस तारिख को वित्त समिति आयोजित हो रही है उसके 15 दिन पूर्व तक के व्यय से मदवार अवगत कराया जाय।

26-04 - वित्त समिति की 27 वीं बैठक में शासन के प्रतिनिधि श्री अन्नावि दिनेश कुमार, विशेष सचिव द्वारा निर्देशित किया गया कि जिन विभागों के विभागाध्यक्षों के स्तर से सम्भावित क्रय सम्बन्धित प्रस्ताव वित्त समिति के विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते है वे उन कार्यो को विस्तृत कार्य योजना एवं कार्य समाप्ति के सम्भावित तिथि के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत करें एवं स्वयं बैठक में प्रतिभाग कर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

26-05 - के सम्बन्ध में गोरखपुर विकास प्राधिकरण के पक्ष में भुगतान का अनुमोदन प्राप्त है। कुलसचिव कार्यालय तत्काल भुगतान की कार्यवाही करें। साथ ही सीमांकन के स्थान पर जो वायर फैनसिंग (कटीले तार) की गयी है के स्थान पर बाउन्ड्रीवाल बनाये जाने का सुझाव दिया गया है। इस कार्य हेतु कार्यदायी संस्था के रुप में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद को नामित किया गया।

26-09 - इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में कुलसचिव को निर्देशित किया गया कि वे क्रय अधिकारी के माध्यम से तत्काल उपकरणों के क्रय की कार्यवाही नियमानुसार करें।

26-10 - एवं 26-11 के सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा 6 माह पूर्व स्वीकृत हुये इन कार्यो में शून्य प्रगति की स्थिति से खेद व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया गया कि समिति की अगली बैठक में नियमानुसार कार्य कराते हुये कृत कार्य से अवगत कराये।

24.06.23
F.C.

26-13 - इस विन्दु के सम्बन्ध में समिति द्वारा निर्देशित किया गया कि यदि अब तक वांछित कार्यवाही न की गयी हो तो छात्र हित में यह कार्यवाही शीघ्र कर ली जाय।

26-16 - विश्वविद्याल के आई0टी0आर0सी0 मे CWN का उच्चीकरण एवं विस्तार के प्रस्ताव के साथ विश्वविद्यालय के सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV Surveillance Video Storage System क्रय किये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही की धीमी प्रगति से असन्तोष व्यक्त किया गया। सुझाव दिया गया कि आवश्यकता के दृष्टिगत कार्य ससमय पूर्व करा लिया जाय।

26-18 - विश्वविद्यालय द्वारा लम्बित देयको के निस्तारण हेतु अधिष्ठाता नियोजन स्रोतजनन एवं पुरातन छात्र सम्बन्ध की अध्यक्षता में पाच सदस्यीय गठित समिति की आख्या का अवलोकन कर समिति की 26 वी बैठक मे इस प्रकरण का सम्पूर्ण भुगतान करते हुये आगामी बैठक में अवगत कराने हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु अभी तक मात्र धरोहर धनराशि का ही भुगतान किया गया है। इस पर समिति के सदस्यों ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया गया। यह निर्देशित किया गया कि यदि प्रबन्ध बोर्ड की आगामी बैठक तक सम्पूर्ण भुगतान की कार्यवाही सम्पन्न नही की जाती है तो यह प्रकरण जॉच के दायरे में आयेगा। सम्बन्धित दोषी अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ कठोर कार्यवाही हेतु समिति द्वारा कुलपति महोदय को अधिकृत किया गया। यह भी निर्देश दिया गया कि यदि आवश्यक समझा जाय तो दोषी अधिकारी/कर्मचारी की जिम्मेदारी किसी अन्य को देते हुए अनुशासनिक कार्यवाही की जाय।

26-19 - प्रोजेक्ट UPCST एवं CST/D-1182 के एक्सपेरियमेटंल सेटअप डेवलपमेन्ट को सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु उपकरण के क्रय का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विश्वविद्यालय में प्रोजेक्ट UPCST एवं CST/D-1182 के एक्सपेरियमेटंल सेटअप डेवलपमेन्ट को सफलता पूर्वक पूर्ण किये जाने हेतु उपकरण के क्रय किये जाने पर अनुमानित लागत रु. 8.88 लाख का व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की गयी। इस सम्बन्ध में अब तक कोई भी कार्यवाही न किये जाने से समिति ने रोष व्यक्त किया तथा शीघ्र कार्य कराये जाने के निर्देश के साथ सम्बन्धित प्रोजेक्ट के पी0आई0 डा0 प्रभाकर तिवारी को। समिति के समक्ष उपस्थित होने के लिए बुलाया गया। अनुपस्थित होने के कारण डा0 प्रभाकर तिवारी समिति के समक्ष उपस्थित नही हुये।

27-03 **<u>वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक व्यय (रु. लाख में) का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित बजट (लाख में)।</u>**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2022-23 का अनुमोदित बजट के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2022-23 का वास्तविक व्यय (रु. लाख में) का विवरण तथा वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु अनुमोदित बजट (लाख में)। के बजट पर अनुमोदन किया गया।

27-04 **<u>गणित एवं बैज्ञानिक संगणन विभाग में डिजिटल क्लास रुम, विभागीय पुस्तकालय हेतु आलमारी फर्निचर एवं फोटो कापी मशीन हेतु उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।</u>**

समिति द्वारा विचारोपरान्त गणित एवं बैज्ञानिक संगणन विभाग में डिजिटल क्लास रुम, विभागीय पुस्तकालय हेतु आलमारी, फर्निचर एवं फोटो कापी मशीन हेतु उपकरण क्रय किये जाने पर रु. 14.00 लाख प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है सम्बन्धित विभागाध्यक्ष ब्रेकअप के साथ मूल्य का आधार बताये साथ यह भी अवगत कराये कि प्रस्तुत कार्य कब तक पूर्ण हो पायेगा। इस निर्देश के साथ प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

F.C.

27-05 **विश्वविद्यालय में सेवा प्रदाता के माध्यम से सेवायोजित कर्मियों के पारिश्रमिक/मानदेय तथा अन्य नियमो के निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा प्रस्ताव।**

प्रस्तुत प्रस्ताव का समिति द्वारा अवलोकनोपरान्त पारिश्रमिक/मानदेय की बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में निम्न तालिका के अनुसार लागू किये जाने का सुझाव दिया गया तथा प्रस्ताव के अन्य विन्दुओं पर सहमति दी गयी।

संशोधित प्रस्ताव समिति के सुझावानुसार निम्नवत है –

क्रम0	श्रेणी	शैक्षणिक अर्हता	प्रस्तावित मानदेय रू0 प्रति माह
01	अकुशल	साक्षर/ 8वीं पास	15000.00
02	कुशल लिपिकीय वर्ग	12वीं पास, सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र, हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/ अंग्रेजी में 40 शब्द प्रतिमिनट टाईपिंग का ज्ञान, टेस्ट में फेल होने पर कार्मिक की सेवा नहीं ली जायेगी।	18000.00
03	कुशल तकनीकी वर्ग/ ए0एन0एम0	सम्बन्धित विधा में डिप्लोमा अथवा समकक्ष अथवा B.Lib. अथवा आई0टी0आई0 के साथ 05 वर्ष का अनुभव, इन्टर साइंस के साथ प्रयोगशाला का 5 वर्ष का अनुभव	20000.00
04	ड्राइवर	10 वीं पास, हेवी वाहन चलाने का ड्राइविंग लाइसेंस एवं वाहन चलाने का 05 वर्ष का अनुभव	20000.00
05	अतिकुशल लिपिकीय वर्ग	12वीं पास, सी0सी0सी0 प्रमाण पत्र, हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/ अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग का ज्ञान एवं टेस्ट में फेल होने पर कार्मिक की सेवा नहीं ली जायेगी एवं 05 वर्ष का शासकीय संस्थान का कार्यालयीय कार्य अनुभव	25000.00
06	अतिकुशल तकनीकी वर्ग/ जी0एन0एम0	बी0एस0सी0 के साथ 3 वर्ष का अनुभव अथवा M.Lib. अथवा डिप्लोमा के साथ 3 वर्ष का अनुभव	25000.00
07	कम्प्यूटर आपरेटर 'सी'	स्नातक उपाधि के साथ ओ लेवल अथवा समकक्ष, हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/ अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग का ज्ञान	25500.00
08	कम्प्यूटर आपरेटर 'बी'	स्नातक उपाधि के साथ ओ लेवल अथवा समकक्ष, हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट/ अंग्रेजी में 40 शब्द प्रति मिनट टाईपिंग का ज्ञान एवं शासकीय संस्थान में कार्य का न्यूनतम 10 वर्ष का अनुभव	29200.00

उपरोक्त क्रम संख्या 07 एवं 08 पर नियुक्ति विशेष परिस्थिति में कुलपति महोदय के अनुमोदनोपरान्त ही की जा सकेगी।

27-06 **विश्वविद्यालय में अंशकालिक होमियोपैथिक चिकित्सक डा0 विजय शंकर सिंह का मासिक पारिश्रमिक बढ़ाये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय में अंशकालिक होमियोपैथिक चिकित्सक डा0 विजय शंकर सिंह का मासिक पारिश्रमिक रु. 17000.00 प्रतिमाह से बढ़ाकर महगाई एवं उनके कार्य के दृष्टिगत मासिक पारिश्रमिक को रु. 25000.00 प्रतिमाह किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

F.C.

27-07 **सत्र 2022-23 से नयी शिक्षानीति के अंगीकृत प्रारुपों के तहत बी0टेक0 पाठ्यक्रम में Audit Subject AUC-15 विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा था और आगामी सत्र में भी प्रस्तावित है को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय रु. 450.00 प्रति व्याख्यान अधिकतम रु. 30000.00 प्रति माह अतिथि शिक्षको के समतुल्य दिये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त सत्र 2022-23 से नयी शिक्षानीति के अंगीकृत प्रारुपों के तहत बी0टेक0 पाठ्यक्रम में Audit Subject AUC-15 विश्वविद्यालय के चिकित्साधिकारियों द्वारा संचालित किया जा रहा था और आगामी सत्र में भी प्रस्तावित है को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय रु. 450.00 प्रति व्याख्यान अधिकतम रु. 30000.00 प्रति माह अतिथि शिक्षको के समतुल्य दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इ

उक्त पर आने वाला व्यय भार विश्वविद्यालय की आय से पूरा किया जायेगा।

27-08 **विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में Renewal subscription of Springer e-journal+IEEE e-journal, AMC of SOFTGRANTH/J-Gate (Database)/, Print Books/ E-Journals,Print Journasls/Newspapers/Magazines एवं अन्य उपकरण क्रय का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में Renewal subscription of Springer e-journal+IEEE e-journal, AMC of SOFTGRANTH/J-Gate (Database)/, Print Books/ E-Journals,Print Journasls/Newspapers/ Magazines एवं अन्य उपकरण क्रय नियमानुसार किये जाने पर रु. 80.00 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस सम्बन्ध में पुस्तकालयाध्यक्ष की रिपोर्ट इस आशय की होनी चाहिए कि पूर्ण के वित्तीय वर्ष में इस तरह के कार्य हेतु कितना बजट आवंटित था एवं दिय गये बजट के साथ कुल कितना खर्च हुआ तथा इस कार्य से कितने छात्र लाभान्वित हुये।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

27-09 **फिजीक्स एवं मैटेरियल साइन्स विभाग के प्रयोशालाओं में नये उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विभागाध्यक्ष द्वारा फिजीक्स एवं मैटेरियल साइन्स विभाग के प्रयोगशाला में नये उपकरण नियमानुसार क्रय किये जाने पर रु. 9.44 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव को रिब्यू करना है अगले वित्त समिति में पूर्ण प्रस्ताव रखा जाय।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

27-10 **विश्वविद्यालय परिनियमावली के विन्दु 33 (3) के अन्तर्गत सभी विभागो/अनुभागों में रु0 1.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत क्रय के साथ कार्य कराये जाने का प्रस्ताव।**

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागो/अनुभागों में परिनियमावली के विन्दु 33 (3) के अन्तर्गत रु0 1.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत क्रय किये जाने हेतु विभागीय क्रय समिति का गठन दो वर्षो की अवधि हेतु किया जाता है। गठित समिति द्वारा कोटेशन के आधार पर न्यूनतम दर वाली फर्म से नियमानुसार क्रय की प्रकिया पूर्ण की जाती है। कभी-कभी आवश्यकता के दृष्टिगत विभागों द्वारा रु. 1.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत क्रय एवं कार्य दोनो कराने हेतु प्रस्ताव प्राप्त होते है। परिनियमावली के विन्दु 33 (3) के अन्तर्गत सभी विभागो/अनुभागों में रु0 1.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत क्रय के साथ कार्य कराये जाने पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

F-C.

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

27-11 विश्वविद्यालय के मानविकी एवं प्रबन्ध विज्ञान विभाग में संविदा के आधार पर कार्यरत सहायक आचार्य डा0 भारती शुक्ला को मातृत्व अवकाश के प्रस्ताव पर विचार।

विश्वविद्यालय के सभी विभागो में कार्यरत संविदा महिला शिक्षको को सवेतन मातृत्व अवकाश नियमानुसार दिये जाने पर अनुमोदन इस शर्त के साथ प्रदान किया गया कि अवकाश अवधि में उन्हें वही मानदेय प्राप्त होगा जो अवकाश पर जाने के ठीक पहले प्राप्त हो रहा था। इस शर्त को संविदा शिक्षकों की सेवा नियमावली में भी शामिल किये जाने के निर्देश किये गये। साथ ही मातृत्व अवकाश सवेतन दिये जाने की व्यवस्था को सभी संविदा महिला शिक्षकों हेतु स्वीकृत किया गया।

27-12 अतिरिक्त मानदेय के भुगतान के सम्बन्ध में निर्णय लिये जाने का प्रस्ताव।

समिति कार्यालय प्रधान महालेखाकार प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की आडिट आपत्ति से अवगत हुयी तथा यह निर्णय लिया गया कि यह प्रस्तर भाग दो (अ) का है जो कि गम्भीर प्रकृति की आपत्ति होती है। इस प्रकरण के सभी मानदेय को स्थगति रखा जाय तथा प्रकरण को शासन के प्राविधिक शिक्षा विभाग को उनके मन्तब्य/सुझाव एवं आदेश हेतु प्रेषित कर दिया जाय।

27-13 विश्वविद्यालय के आई0टी0आर0सी0 में विभिन्न प्रकार के उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के आई0टी0आर0सी0 में विभिन्न प्रकार के उपकरण 1 अद्द 62.5 के0बी0ए0 का साउन्डप्रूफ युक्त जनरेटर, केविल, पी0वी0सी0 डबल साईड कार्ड प्रिन्टर एवं एक 10 के0बी0ए0 यू0पी0एस0 क्रय किये जाने पर रु. 12.66 लाख का व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

प्रस्ताव को इस शर्त के साथ स्वीकृत प्रदान की गयी सम्बन्धित कार्य को तीन माह में पूर्ण करे।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा।

27-14 विद्युत एवं संचार अभियंत्रण विभाग के प्रयोगशालाओं में फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, ए0सी एवं अन्य उपकरण क्रय किये जाने का प्रस्ताव।

समिति द्वारा विचारोपरान्त विश्वविद्यालय के विभागाध्यक्ष द्वारा विद्युत एवं संचार अभियंत्रण विभाग में बी0टेक0 (IoT) सत्र 2023-24 में नया प्रोग्राम शुरु करने का प्रस्ताव प्रस्तुत है। जिसकी मान्यता AICTE द्वारा प्राप्त हो गयी है। इस प्रोग्राम हेतु विभाग के प्रयोगशाला में फर्नीचर, कम्प्यूटर, प्रिन्टर, ए0सी एवं अन्य उपकरण क्रय कियें जाने पर कुल अनुमानित लागत रु. 50.00 लाख के व्यय भार पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

समिति द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन विस्तृत विवरण के साथ प्रस्तुत किये जाने की शर्त के साथ स्वीकृत किया गया।

उक्त प्रस्तावित कार्य पर होने वाला व्यय धन की उपलब्धता के अनुसार विश्वविद्यालय के श्रोतो से होने वाली आय की बचतो से वहन किया जायेगा

F.C.

अनुपूरक प्रस्ताव :

27-15/01 **उत्तर प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-2) द्वारा जारी शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च 2020 में उच्च शिक्षा विभाग के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय में संचालित स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत पाठ्यकर्मो में कार्यरत शिक्षकों हेतु उल्लिखित वेतन/मानदेय व शर्तो के मानक आदि के सम्बन्ध में प्रावधानित व्यवस्थानुसार मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर के प्रबंध अध्ययन विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0बी0ए0 तथा बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को वेतन/मानदेय एवं सेवा शर्तो का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

समिति को अवगत कराना है कि विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित बी0फार्मा0 पाठ्यक्रम हेतु नियुक्त शिक्षकों को उच्च शिक्षा विभाग (अनुभाग-2) द्वारा जारी शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च 2020 में प्राविधानित व्यवस्था वेतन/मानदेय एवं सेवा शर्तो का लाभ दिये जाने हेतु प्रबंध बोर्ड की पच्चीसवीं बैठक दिनांक 20.09.2022 के मद संख्या 25-16 मे अनुमोदन प्रदान किया जा चुका है।

तत्क्रम में शासनादेश संख्या 226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च 2020 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार विश्वविद्यालय के प्रबंध अध्ययन विभाग में स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत संचालित एम0बी0ए0 तथा बी0बी0ए0 पाठ्यक्रमों हेतु संविदा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को भी वेतन/मानदेय एवं सेवा शर्तो का लाभ दिये जाने के प्रस्ताव पर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

27-16/02 **मा0 कुलपति जी की सुरक्षा में लगे एवं साथ आने जाने वाले गनर (सुरक्षाकर्मी) को टी0ए0/डी0ए0 एवं होटल में ठहरने इत्यादि पर सुविधाए प्रदान किये जाने पर विचार।**

समिति को अवगत कराना है कि मा0 कुलपति जी की सुरक्षा में लगे एवं साथ आने जाने वाले गनर (सुरक्षाकर्मी) को टी0ए0/डी0ए0 एवं होटल में ठहरने इत्यादि पर सुविधाए प्रदान किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव पर विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा उपरोक्त के सम्बन्ध में प्रभावी शासनादेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

27-17/03 **विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरो पर स्थायी शिक्षको की नियुक्ति हेतु Recruitment Portal/Software तैयार किये जाने का प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय में विभिन्न स्तरों पर स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति यथाशीघ्र किये जाने हेतु राजभवन उत्तर प्रदेश द्वारा निर्देश प्राप्त हुआ है, इसकी मानीटरिंग Online के माध्यम से एवं GEM की प्रक्रिया के लिये Online की जरुरत हर माह पड़ता रहता है, साथ ही विश्वविद्यालय में पठन-पाठन के कार्यो को सुचारु रुप चलाने के लिये एवं रिक्त पदों के सापेक्ष नयी नियुक्तियों को पारदर्शिता के साथ सुचारु रुप से किये जाने हेतु Application Forms के लिए एक Versatile Recruitment Portal/Software की नितान्त आवश्यकता है Recruitment प्रक्रिया को विना अवरोध के सुचारु रुप से सम्पन्न किए जाने के लिए Software को Develop करने लिए अनुमानित मुल्य रु. 494000.00 है। वित्त समिति की सोलहवीं बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य प्रस्ताव मे मद संख्या 16-11/01 में रु. 500000.00 लाख से कम व्यय वाले प्रस्ताव पत्रावलियों के माध्यम से सक्षम स्तर पर अनुमोदन प्राप्त किये जाने का प्रस्ताव पूर्व में वित्त समिति द्वारा स्वीकृत है।

समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की गयी इस पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय मद में हो रही बचतो से किया जायेगा।

F.C.-

27-18/04 विश्वविद्यालय की सेवाओ को Online Portal के माध्यम से विकसित कर Portal को ISP Portal से इन्टीग्रेट किये जाने का प्रस्ताव।

विश्वविद्यालय की सेवाओं को Online Portal के माध्यम से विकसित कराने एवं उक्त Portal को ISP Portal से इन्टीग्रेट किये जाने हेतु M/S ITI Ltd. Banglore से भारत सरकार के जनहित गारण्टी अधिनियम के अर्न्तगत अधिसूचित सेवाओं/अन्य Online सेवाओं को विश्वविद्यालय पोर्टल पर Online विकसित किए जाने और इसे ISP Portal में इन्टीग्रेट किये जाने सम्बन्धित आवश्यक वांछित दस्तावेज एवं टेक्निकल मैनुअल एवं टेक्निकल रिक्वायरमेन्ट स्पेशिफिकेशन एवं जनहित गारण्टी की क्रियान्वयन हेतु इस कार्य की अति आवश्यकता को देखते हुए इसे प्राथमिकता के आधार पर किया जाना है।

दिनांक 18.05.2023 और दिनांक 19.05.2023 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में M/S ITI Ltd. Banglore जो भारत सरकार का एक Public Secoter Under Taking है से प्राप्त स्टीमेट जो कि रु.100000.00 लाख से अधिक रु. 500000.00 लाख से कम है को विश्वविद्यालय की केन्द्रीय क्रय समिति (CPC) की बैठक में लिय गये निर्णय के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए M/S ITI Ltd. Banglore से प्राप्त दर रु. 385000.00 (जी0एस0टी सहित) संक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है, तथा क्रयादेश निर्गत किया जा चुका है।

समिति उपरोक्त से अवगत हुई एवं विश्वविद्यालय हित में प्रस्ताव पर कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया। इस कार्य पर होने वाला व्यय विश्वविद्यालय के श्रोतो से हो रही आय की बचतों से किया जायेगा।

अन्त मे बैठक अध्यक्ष महोदय एवं सभी सम्मानित सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापनोपरान्त समाप्त हुई।

24.06.23
(अमर सिंह)
वित्त नियंत्रक
सदस्य/सचिव

24.06.2023
(प्रो0 जे0पी0 पाण्डेय)
कुलपति/अध्यक्ष